

क्रम संख्या-33

३०० प्रति डाफ
१३

पंजीकृत संख्या-यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/३०/२००९-११

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-१, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, २९ मार्च, २०११ ई०

चैत्र ०८, १९३३ शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या ११६/XXXVI(३)/२०१०/४९(१)/२००९

देहरादून, २९ मार्च, २०१०

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद २०० के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, २०११” पर दिनांक २९ मार्च, २०११ को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या ०१ वर्ष, २०११ के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, २०११

[उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या ०१ वर्ष २०११]

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, २००८ में अग्रत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेन्शन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।
- धारा 1 का प्रतिस्थापन 2. उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेन्शन) अधिनियम, 2008 [यथा संशोधित अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 16 वर्ष 2010)] (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 1 की उपधारा (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—
“(2) धारा 23 क के सिवाय यह दिनांक 01 अप्रैल 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।”
- धारा 15 का प्रतिस्थापन 3. मूल अधिनियम की धारा 15 के परन्तुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—
“परन्तु यह कि यदि किसी सदस्य द्वारा लिये गये अग्रिम को ब्याज सहित वापस कर दिया गया हो तो ऐसे किसी सदस्य को उसके अनुरोध पर पुनः अग्रिम की सुविधा अनुमन्य की जा सकती है।”
- धारा 23—क का संशोधन 4. मूल अधिनियम की धारा 23—क के स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नवत् स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :—
“स्पष्टीकरण—1— सदस्य तथा पूर्व सदस्य के सम्बन्ध में आश्रित से ऐसे सदस्य के साथ रहने वाले और उस पर पूर्णतः आश्रित अधिमान क्रम में उसके पति या उसकी पत्नी, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, पिता या माता अभिप्रेत है।
स्पष्टीकरण—2— ‘पूर्व सदस्य’ से ऐसा सदस्य अभिप्रेत है, जो उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय से पेन्शन प्राप्त कर रहा है।”

आज्ञा से,
राम सिंह,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of ‘**The Uttarakhand State Legislature (Emoluments and Pension of Members ((Amendment) Act, 2011)**’ (Adhiniyam Sankhya 01 of 2011) :—

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 29 March, 2011).

No. 116/XXXVI(3)/2010/49(1)/2009

Dated Dehradun, March 29, 2011

NOTIFICATION

Miscellaneous

**The Uttarakhand State Legislature (Emoluments and Pension of Members)
(Amendment) Act, 2011**

[Uttarakhand Act No. 01 of 2011]

An

Act

Further to amend the Uttarakhand State Legislature (Emoluments and Pension of Members) Act, 2008;

Be it enacted in the Sixty-second Years of the Republic of India by the Uttarakhand State Legislature as follows:

1. This Act may be called the Uttarakhand State Legislature (Emoluments and Pension of Members) (Amendment) Act, 2011. **Short title**
2. Sub-section (2) of Section 1 of the Uttarakhand State Legislature (Emoluments and Pension of Members) Act, 2008 [as amended Act, 2009 (Act No. 16 of 2010)] (hereinafter referred to as principal Act) shall be substituted as follows; namely- **Substitution of Section 1**

“(2) It shall be deemed to have come into force from the date of 01 April 2009 except section 23 A.”
3. The proviso of section 15 of the principal Act, shall be substituted as follows; namely- **Substitution of Section 15**

“Provided that if any member has refunded advance with interest taken by him, then on the request, the facility of re-advance may be provided to any such member.”
4. In place of explanation of section 23-A of the principal Act, the following explanations shall be substituted; namely :- **Amendment of section 23-A**

“**Explanation-1**— Regarding dependent of member and ex-member means with residing and fully dependent on him, his husband or his wife, minor son, un-married daughter, father or mother in order of preference.

“**Explanation-2**— “Ex-member” means such member who is getting pension from Uttarakhand Assembly Secretariat.”

By Order,
RAM SINGH,
Principal Secretary.